

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं.दावा / 52 / 2014

दर्ज दिनांक:-04.06.2014

1. प्रेम पता— .....प्रार्थी  
बनाम  
2. शिशुपाल वगैरे पता— .....अप्रार्थीगण

लोकेन्द्रनाथ चतुर्वेदी

प्रार्थी अभिभाषक  
अप्रार्थी अभिभाषक

**निर्णय**

दिनांक 12.09.2018

वकील वादीया उपस्थिता पत्रावली का अवलोकन किया। बार-बार हिदायत देने के बाबजूद भी तलवी प्रतिवादीगण की नहीं कराई गई है। तलवी हेतु अन्तिम अवसर भी दिये जा चुके हैं। दिनांक 03.01.2016 एवं 11.07.2018 को तलवी न कराने पर दावा अपालना में खारिज करने की चेतावनी भी दी गई। किन्तु पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में दावा वादिया ओ.9.नि.5.सीपीसी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर